न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी — आशीष गुप्ता
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.136 / प्रा.पत्र / 2018 (GCMS No. 2018 / 00372)	30.05.2018	03.11.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

मृतक मोहनलाल आ. किशना कौम हरिजन जर्ये कायम मुकाम गजानन्द,पूरण,राकेश पि. मोहनलाल, मंजूबाई,इन्द्राबाई,भरोषीबाई पुत्रियां मोहनलाल, शांतिबाई बेवा मोहनलाल जाति हरिजन निवासी ग्राम एबेरा, तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री महावीर मीणा, एडवोकेट।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मोहन आ. किशना कौम हरिजन निवासी ग्राम ऐबरा, तहसील बून्दी को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 997 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा वाकेग्राम ऐबरा, आवंटन आदेश दिनांक 04.11.1977 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम,1970 के अन्तर्गत आवंटी के वारिसान के विरूद्ध प्रस्तुत किया है। मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से दिनांक 19.10.2020 को जवाब पेश किया जाकर कार्यवाही निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी ।

जिला कलेक्ट

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र नियम 14(4) राज.भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम,1970 के तहत पेश किया है जो उपनिवेशन क्षेत्र में विस्थित भूमि बाबत विधिपूर्ण नही है। प्रकरण में आवंटी को आवंटन (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एंव विक्रय) नियम,1957 के तहत किया गया है तथा इन नियमो के अन्तर्गत किये गये आवंटन को उक्त नियम की धारा 22 के तहत आवंटन प्राधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा निरस्त किया जा सकता है। अतः वादग्रस्त आराजी उपनिवेशन क्षेत्र में स्थित होने से अनकमाण्ड क्षेत्र के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही चलने योग्य नहीं होने से न्यायालय से निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि अप्रार्थियां शांतिबाई के पति एवं अप्रार्थीगण के पिता मोहनलाल जी को उक्त भूमि अन्त्योदय योजना के तहत अनुसूचित जाति का सदस्य होने से उसके नियमानुसार आवंटन समिति द्वारा आवंटित की गई थी तथा दिनांक 15.11.1977 को कब्जा भौतिक रूप से संभलाया गया था एवं नियमानुसार दखलनामा दिया गया था। आवंटी द्वारा उक्त आवंटनशुदा भूमि को फाड तोडकर काबिल काश्त बनाया और जीवनपर्यन्त काबिज रहकर काश्त की गई, उनके देहान्त के बाद अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर निरंतर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है। आरक्षित मूल्य जमा करवाने के लिए आवंटी एवं अप्रार्थीगण तैयार है, किन्तु उक्त राशि जमा नहीं की गई। अतः यह कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर बकाया राशि जमा करवाई जावे तथा भूमि को खातेदारी में दर्ज करवाया जावे।

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी मोहन आ. किशना कौम हरिजन, निवासी ग्राम ऐबरा को मिसल संख्या 92 पर दिनांक 04.11.1977 को भूमि खसरा सं. 997 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा वाकेग्राम ऐबरा का आवंटन किया जाना प्रकट है। आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी द्वारा आवंटन हेतु (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1957 के तहत आवेदन किया गया। आरक्षित मूल्य पर जमा करवाने की शर्त पर उक्त नियमों के तहत आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन किया गया। इस प्रकार उक्त भूमि कमाण्ड क्षेत्र में स्थित होने से अनकमाण्ड क्षेत्र के कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। ऐसे में कमाण्ड क्षेत्र की भूमि पर चम्बल परियोजना क्षेत्र के नियमों के तहत आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही पेश नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी नियमान्तर्गत नहीं है, जो अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.) सत्यमेव जयते

जिला कलेक्ट

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपूर्ण होने से अस्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को मूल आवंटन पत्रावली लौटाकर निर्देश दिये जाते है कि आवंटित भूमि पर आवंटी के कब्जा काश्त के संबंध में मौका रिपोर्ट, आवंटी द्वारा आरक्षित मूल्य जमा होने या राशि बकाया होने बाबत स्पष्ट रिपोर्ट सहित प्रकरण राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1957 के तहत तैयार कर सक्षम न्यायालय में भिजवाया जावे।

आदेश आज दिनांक 03.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष गुप्ता)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी